न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

(प्रथम अपील अधिकारी अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 54 / 2024

जी.सी.एस.एस. नं. : 2024 / 206

1. सोहनलाल, निवासी 60 जीबी ए अनूपगढ़

बनाम

1. तहसीलदार अनूपगढ़

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 20.12.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थी द्वारा यह प्रथम अपील प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को प्रदान की गयी सूचना से असंतुष्ट होने के आधार पर प्रस्तुत की गयी हैं। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पत्र के संबंध में जवाब प्रतिवेदन तलब किया गया। तहसीलदार अनूपगढ के पत्रांक / आरटीआई / 2024 / 625 दिनांक 18.12.2024 के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया हैं कि अपीलार्थी द्वारा अपील में "required OBC non creamy layer certificate rule" चाहे गये है, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(9) और 6(1) के अन्तर्गत यदि कोई सूचना इंटरनेट पर उपलब्ध है और सार्वजनिक रूप से सुलभ है, तो संबंधित जन सूचना अधिकारी उस सूचना का लिंग प्रदान कर सकता है। उक्त नियमों के तहत प्रार्थी को पूर्व में लिंक उपलबध करवा दिया गया था। अपील निस्तारित करने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ओबीसी जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाने से संबंधित नियमों की प्रति उपलब्ध करवाने की अपेक्षा की गयी थी, जिस पर राज्य लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार अनूपगढ के द्वारा अपने प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत पत्रांक आरटीआई / 2024 / 214 दिनांक 12.11.2024 के द्वारा अपीलार्थी को वांछित नियमों का लिंक उपलब्ध करवा दिया गया है। चूंकि अपीलार्थी को प्रत्यर्थी द्वारा सूचना उपलबध करवाई जा चुकी है, ऐसी स्थिति में अपील खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को सूचनार्थ / पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 20.12.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर अनूपगढ
I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़